

भी

# डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उप जिला कलक्टर मुकाम रोडाभीम व  
इजलास जगदीश आर्ष R.A.S.

## उजवान

मजौली } पिलरान  
शब्बुलाल } हेवाराम  
धर सिंह } जाति  
नीमन लाल } जोगी  
नेवासी खानपुर  
हसील रोडाभीम

**बनाम**

1. सवाई सिंह 5/0 देवी सिंह
  2. आनंद सिंह
  3. सुकराम सिंह
  4. चन्पा सिंह
  5. पवन सिंह
  6. लाला सिंह
  7. लहसीलदर रोडाभीम
- पिं सवाई सिंह  
समस्त जाति  
राजपूत निवासी  
ग्राम खानपुर  
लहसील रोडाभीम

बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं० 71 सन् 2011

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबई हजार व हाजिरी

अदन मोहन शर्मा Adv. मिनकानिब गुदई रुबरु  
निब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

अतः दावा वादीगण रिबलाफ प्रतिवादीगण बाबल स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण 1 ता. 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम खानपुर की भूमि खसरानम्बर 78 रकबा 0.23 हे०, 83 रकबा 0.07 हे०, 84 रकबा 0.22 हे०, 100 रकबा 0.22 हे० कुल कित्ता 4 कुल रकबा 0.74 हे०, में वादीगण के करने काश्त में किसी भी प्रकार से मजामूरत सदाखलत नही करे। जबर दस्ती करजा नही करे। पर्या डिक्री जारी करे।

मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमे के मय  
शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक  
का अदा करे।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28 माह 7 सन् 2015  
को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत उप जिला कलक्टर  
रोडाभीम (करीली)  
ओहदा

	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
य अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
य वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
य वजह सबूत			महन्ताना वकील		
न्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
र्जी गवाहान			फीस कमिशनर		
स कमिशनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
तफरिक					

मीजान